03.11.2020

Called out. Counsels of the parties appeared. Heard on application 103C2 of the Respondent No. 3 and objection 104C2 thereon of the Respondent No. 1.

Application 103C2 has been given for the compliance of the Order dated 21.02.2019 passed by the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad in W.P. (Civil) No. 5145 of 2019 in which it is prayed that the Respondent No. 1 be directed to produce the original copy of the insurance cover note/policy dated 08.02.2012 issued by the Respondent No. 3 company against the insurance of the motorcycle bearing no. UP 93 Y 5179 and receipt of payment of the same.

Hon'ble High Court's Order dated 21.02.2019 in abovementioned W.P. (Civil) is being reproduced here-

"मेरे द्वारा न्यायाधिकरण के निर्णय दिनांक 30.10.2018 का अवलोकन किया गया तथा यह पाया गया कि वास्तव में विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा कवर नोट की सत्यापित प्रति क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत की गई परंतु जैसा कि अपेक्षा थी कि विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में न्यायाधिकरण के सम्मुख केजिंग बनाकर बुकलेट के रूप में कवर नोट की समस्त बुकलेट प्रस्तुत होनी थी वे कदापि प्रस्तुत नहीं हुई।

न्यायाधिकरण के निर्णय दिनांक **30.10.2018** के अवलोकन से यह विदित होता है कि संबंधित बीमा कंपनी द्वारा कबर नोट**।** पॉलिसी की सत्यापित छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई थी न कि बीमा कंपनी से संबंधित समस्त बुकलेट जिन्हें के बीमा कंपनी के एजेंट द्वारा वाहन के बीमा करने के उपरांत बुकलेट के रूप में वापस किया जाता है को प्रस्तुत किया।

अतः न्यायाधिकरण का निर्णय दिनांक **30.10.2018** पूर्व के उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में नहीं पारित किया गया है जिसमें यह अपेक्षा की गई थी कि बीमा कंपनी के द्वारा **7** फरवरी **2012**, **8** फरवरी **2012** वह **9** फरवरी **2012** से संबंधित कवर नोट की बुकलेट न्यायाधिकरण के अवलोकन हेतू प्रस्तुत की जावे।

उपरोक्त परिस्थितियों बस न्यायाधिकरण का निर्णय दिनांक 30 अगस्त 2018 अपास्त किया जाता है। विपक्षी संख्या 3 व 4 बीमा कंपनी को निर्देशित किया जाता है कि वह उच्च न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 17.10.2018 के अनुपालन में दिनांक 7 फरवरी 2012, 8 फरवरी 2012 व 9 फरवरी 2012 को जारी समस्त कवर नोट की बाइंडेड बुकलेट को न्यायाधिकरण के सम्मुख अगली निश्चित तिथि (14 मार्च, 2019) को प्रस्तुत करें।"

It is clear from the above order that Insurance Company was to produce binded booklet of all cover notes issued on 7 February 2019, 18 February 2019 and 9 February 2019 but instead of producing them insurance Company has sought original cover note of policy and receipt thereof hence application 103C2 is rejected.

Fixed 06.11.2020 for final arguments.